सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1497/JH/3/2023-ESDW **दिनांक: 13.04.2023**

श्री सुशांत गौरव,
उपायुक्त,
जिला – गुमला
कलेक्टर बिल्डिंग, गुमला,
झारखण्ड - 835207
ई मेल: dc-gum@nic.in

डॉ. एहतेशाम वकारिब,
पुलिस अधीक्षक,
जिला – गुमला
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
झारखण्ड - 835207
ई मेल: sp-gum@nic.in

विषय: भूमि का बकाया मुआवजा नही दिए जाने तथा अधिकारीयों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में श्री नारायण भगत, प्रधान सचिव, टाना भगत शिष्ट मण्डल प्रतिनिटी कमिटी, झारखंड प्रदेश, रांची का दिनांक 03.03.2023 का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री नारायण भगत से दिनांक 03.03.2023** में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1 **श्री नारायण भगत,**
प्रधान सचिव,
टाना भगत शिष्ट मंडल प्रतिनिधि कमिटी, झारखंड प्रदेश रांची,
बमनडीहा, लोहरदगा,
झारखण्ड

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.